महाराष्ट्र स्टेट बैंक एम्प्लाइज फेडरेशन (एमएसबीईएफ) ने अपनी सभी इकाइयों और सदस्यों को बैंक के निजीकरण के खिलाफ जीवन और मृत्यु के संघर्ष के लिए तैयार रहने के लिए कहा

महाराष्ट्र स्टेट बैंक एम्प्लाइज फेडरेशन (एमएसबीईएफ) ने अपनी सभी इकाइयों और सदस्यों को सूचित किया है कि सरकार दो बैंकों से शुरुवात कर और बाद में शेष के निजीकरण को करने के लिए बैंकिंग अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव कर रही है। उन्हें अब जीवन और मृत्यु के संघर्ष के लिए तैयार हो जाना चाहिए।

महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन

(AIBEA ला संलग्न)

दादीशेठ हाऊस, कावासजी पटेल स्ट्रीट, अकबर अलीज समोर, पहिला मजला, फोर्ट, मुंबई - ४०० ०२३.

फोन नं. : २२८८६१८७ / २२८७२५१९ e-mail : msbef@gmail.com / msbef1947@gmail.com

विशेष परिपत्रक

दिनांक : २४ नोव्हेंबर २०२१

संलग्न युनिटकरिता / सर्व सभासदांसाठी

कॉम्रेड्स,

निकराच्या लढाईला सज्ज राहा !

(मराठी परिपत्र का हिंदी में अनुवाद)

महाराष्ट्र स्टेट बैंक कर्मचारी संघ

(एआईबीईए से संबद्ध)

24 नवंबर, 2021

विशेष परिपत्र

संबद्ध इकाइयों / सभी सदस्यों के लिए

साथियों,

जीवन और मृत्यु के संघर्ष के लिए तैयार रहें!

अंतत: भारत सरकार ने 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में बैंकिंग अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र में दो बैंकों के निजीकरण

का बजट में घोषणा को एक ठोस रूप दे दिया है। इस संशोधन के जरिए सरकार इन दोनों के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों का निजीकरण कर सकेगी।

अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के निरंतर प्रयासों के कारण अंततः 1969 में 14 बैंकों का और 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था । इससे बैंकिंग व्यवसाय का 90% सार्वजनिक क्षेत्र में आ गया था। अंतरिम अवधि में, निजी बैंकों को दिए गए लाइसेंस के कारण, आज भी 70% बैंकिंग व्यवसाय सार्वजनिक क्षेत्र में हो रहा है, जबकि अब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश बैंकों का निजीकरण करने की कोशिश कर रही है, और यदि ऐसा होता है, तो सौ लाख करोड़ रुपये से अधिक इन बैंकों में जमा राशि असुरक्षित हो जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग ने निजी धन उधार (साहूकारी) को नष्ट कर दिया था। आम लोगों को बैंकिंग यानी विकास के क्षेत्र में खींच लिया गया था। बैंकिंग ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ दूर-दराज और पिछड़े दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच गई थी। कृषि का विकास हुआ और हरित क्रांति के साथ-साथ दुग्ध क्रांति संभव हुई थी। अर्थव्यवस्था और देश का विकास संभव हो पाया था।

ये बैंक केवल एक समस्या से जूझ रहे हैं, वह है अवैतनिक ऋण, जिनमें से अधिकांश बड़े व्यवसायों के पास थे। लगातार अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से, ऋण वसूली न्यायाधिकरण अधिनियम, सरफासी अधिनियम और दिवालियापन अधिनियम पारित किये गये और उनके दायरे में एक मशीनरी बनाई गई। परन्तु, इन सभी प्रयासों से वांछित परिणाम नहीं मिले और इसलिए लाखों करोड़ रुपये के ऋण को बट्टे खाते में डाल दिया गये। इसलिए ये बैंक घाटे में चल रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि बैंकों की बदहाली बड़े कारोबारियों के कारण है न की राष्ट्रीयकरण के कारण है, लेकिन दुर्भाग्य से बड़े कारोबारियों के प्रभाव में काम करने वाली मौजूदा सरकार आम कोगों के अपने पसीने और श्रम से कमाए हुए सौ लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत राशि का मालिकाना हक बड़े व्यवसायों को सौंप रही है। इसलिए अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ लगातार बैंकों के निजीकरण का विरोध करता रहा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार लोकसभा के सामने धरने और हड़ताल की तारीखों की तुरंत घोषणा की जाएगी। अंतरिम अवधि में हम सभी संबद्ध संगठनों से अपने-अपने कार्यकर्ताओं की बैठकें आयोजित करने की अपील करते हैं। सभी सदस्यों को सभी प्रकार के संघर्ष में भाग लेने के लिए तैयार करें। यह अब जीवन

और मृत्यु का संघर्ष होने जा रहा है जिसमें हमें इस संघर्ष को संसद और विधायिका के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों और संगठनों को शामिल करके एक जन आंदोलन का रूप देना होगा। तभी हम सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर सकते हैं। किसान आंदोलन ने हमें रास्ता दिखाया है और हमें उस रास्ते पर चलकर बैंकों के निजीकरण के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाना है।

कृपया सभी संबद्ध संगठनों द्वारा एकत्रित हस्ताक्षरों के साथ अपील को संगठन कार्यालय को अग्रेषित करें। अपने-अपने कार्यकर्ताओं की बैठकें करें और संघर्ष के लिए तैयार रहें। हम आपसे तहे दिल से अपील करते हैं कि कार्यकर्ताओं को जीवन और मृत्यु के संघर्ष के लिए तैयार करें।

सादर,

देवीदास तुलजापुरकर,
महासचिव

नंदकुमार चव्हाण
अध्यक्ष

आपले विश्वासू

देविदास तुळजापूरकर
जनरल सेक्रेटरी

नंदकुमार चव्हाण
अध्यक्ष